

स्पीड पोस्ट



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० बिहार-01/विकास/2006/आर.यू.-III

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003  
6<sup>TH</sup> Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110003

सेवा में,

दिनांक : 04-06-2014

प्रधान सचिव,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

पटना (बिहार)

2. सचिव,

बिहार सरकार

गृह विभाग,

पटना (बिहार)

विषय: अनुसूचित जनजाति के जमीन पर अवैध कब्जा बाबत श्री शम्भूनाथ स्व० श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पो०-आंदर, जिला-सीवान (बिहार) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28-01-2014 (छायाप्रति संलग्न है) के संदर्भ में कथन है कि मामला आयोग में वर्ष 2006 से लंबित है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा ने मामले पर चर्चा/सुनवाई हेतु दिनांक 19-06-2014 को अपराह्न 12:30 बजे आपके साथ बैठक निश्चित की है। अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को समाहर्ता, जिला-सीवान तथा आरक्षी अधीक्षक, जिला-सीवान के साथ वैयक्तिक रूप में उपरोक्त पते पर आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. समाहर्ता, जिला-सीवान, बिहार को।
2. आरक्षी अधीक्षक, जिला-सीवान, बिहार को।
3. श्री शम्भूनाथ स्व० श्री भागीरथी प्रसाद, ग्राम+पो०-आंदर, जिला-सीवान (बिहार) को, अनुरोध है कि वह भी दिनांक 19.06.2014 को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।
4. ✓ एसएसए, एनआईसी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।